<u>न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)</u>

अपील संख्या 12 / 24 / 2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022 / 180

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, राजपूत ग्राम व पोस्ट–पेहल, तहसील–मुण्डावर, जिला–अलवर (राज.)–301404		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 14.01.2022 के माध्यम से एफ.आई.आर. सं0 247 / 2017 ए.सी.बी. अलवर के संदर्भ में ए.सी.बी. रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति प्रारूप की सत्यापित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 03.03.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 921 दिनांकः 25.04.22 मय संलग्नक, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब / सूचना पर गौर / मनन किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी को सूचना आवेदन पर विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्र मय ए.सी.बी. रिपोर्ट व प्रारूप अभियोजन स्वीकृति गोपनीय प्रकृति की होने के कारण देय नहीं है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)